

I/228980/2022

संख्या-पी-340/81-2-2022-800(340)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

विषय- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि० झांसी द्वारा 200mm Dia काबेन स्टील पाइप लाईन विछाने हेतु झांसी-शि
वपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के किमी० संख्या-86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित
0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के किमी० संख्या-6.500 से 18.200 (कुल
11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन
ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी
प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/143751/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1278/11-सी-एफपी/यूपी/पाइपलाइन/143751/2021 दिनांक 07.10.2022 का कृपया
सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके परीक्षणोंपरान्त कतिपय कमियां पायी गई हैं:-

1. प्रस्ताव में अथराईजेशन प्रमाण पत्र में वैधता अवधि में ओवरराईटिंग कर संशोधित किन परिस्थितियों में किया गया है ?
2. प्रस्ताव के पार्ट-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.636 हे० अंकित है। जबकि पार्ट-2 में 0.667044 हे० अंकित है ?
3. प्रस्ताव में 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि है, तो पार्ट-2 में भूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि ही क्यों अंकित है ?
4. पृष्ठ-22 पर रक्षित पावर ऑफ एटार्नी की वैधता अवधि 31.03.2022 अंकित किया गया है, जो समाप्त हो चुकी है।
5. पृष्ठ-27/33 पर रक्षित लाईसेंस में कार्यदायी कम्पनी एवं लाईसेंस प्रमाण पत्र में मोहर एवं टाईटिल में विसंगति है ?
6. पृष्ठ-46 पर अंकित है कि पाइपलाइन के विछाये जाने में 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.060 हे० आरक्षित वनभूमि, जिसका भू-स्वामित्व एन० एच० है। 0.060 हे० का भू-स्वामित्व किसका है। स्थिति स्पष्ट की जाय।
7. पृष्ठ-67 पर रक्षित एन० एच० ए० आई० का भू-स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 03.01.2021 है, जो समाप्त हो चुकी है। नवीन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ?
8. पृष्ठ-72 पर रक्षित लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की बचनबद्धता उपलब्ध करायी जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

अनु सचिव।

Signed by ओम प्रकाश

Date: 25-10-2022 16:30:37

Reason: Approved